E Governance.

संख्या : 2013/26-2-99-11

प्रेषक,

हौसिला प्रसाद वर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी/मु. विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ.प्र.।

समाज कल्याण अनुभाग - 2

लखनऊ : दिनांक 4 अगस्त, [illegible]

विषय : विकेन्द्रीकरण के सापेक्ष पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तारतम्य में निर्धारित प्रक्रिया का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि [illegible] विकेन्द्रीकरण के परिप्रेक्ष्य तथा पंचायती व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना [illegible] वितरण प्रक्रिया के सापेक्ष कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं, जो निम्नवत् हैं :-

1. पेंशन के लाभार्थियों की सूची 31 जुलाई, 99 तक ग्राम-पंचायतों को उपलब्ध कराने के निर्देश पूर्व में [illegible] शासनादेश संख्या : 1738/26-2-99-11(26)/98 दिनांक 14-7-99 द्वारा जारी किये जा चुके हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि अब तक उस पर वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कर ली गयी होगी तथापि जिन जनपदों में यह कार्य अब तक पूर्ण नहीं किया गया है वहां तत्काल लाभार्थियों की सूची ग्राम-पंचायतों को उपलब्ध करा दी जाय।

2. विदित ही है कि 60 से 65 वर्ष के बीच के लाभार्थियों को पेंशन संबंधी धनराशि राज्यांश से प्रदान की जाती है तथा 65 वर्ष एवं उससे ऊपर की आयु के वृद्धजनों के पेंशन राशि में 75 रु. प्रतिमाह, प्रति लाभार्थी केन्द्रांश तथा 50 रु. राज्यांश के रूप में प्रदान किया जाता है। जिसके वितरण की सम्प्रति में यह व्यवस्था रही है कि [illegible] ही चेक के माध्यम से राज्यांश तथा केन्द्रांश की धनराशि लाभार्थियों के खाते में क्रेडिट एडवांस अथवा एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से प्रदान कर दी जाती है तथा व्यय हुए केन्द्रांश एवं राज्यांश की बुकिंग अलग-अलग लेजर में [illegible] ली जाती है। उक्त व्यवस्था में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या - बी - 1-1197/दस-99, दिनांक 30 मार्च 1999 के तारतम्य में अब यह अपेक्षित होगा कि कोषागार में देयकों को प्रस्तुत करते समय राज्यांश के संदर्भ में [illegible] लाभार्थी जिले के जिस बैंक से संबंधित हैं तथा जिन बैंकों के माध्यम से उनके खाते में पेंशन का भुगतान होना [illegible] है उनके संदर्भ में देय धनराशि का आंकलन करते हुए तथा बैंकवार उनका योग इंगित करते हुए कोषागार में देयक प्रस्तुत कर संबंधित बैंक के नाम चेक प्राप्त किया जायेगा तथा उक्त चेक संबंधित बैंक में प्रस्तुत करते हुए यह अपेक्षा की जायेगी कि क्रेडिट एडवांस व्यवस्था अथवा एकाउन्ट पेयी चेक (जैसी भी स्थिति हो) के माध्यम से लाभार्थी को भुगतान की तुरन्त व्यवस्था की जाय। यद्यपि अधिकतर जनपदों में क्रेडिट एडवांस व्यवस्था के माध्यम से बैंकों द्वारा लाभार्थियों के खाते में धनराशि के सीधे अंतरण की व्यवस्था है तथापि कुछ जनपदों में एकाउन्ट पेयी क्रास्ड चेक वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को दिये जाने की व्यवस्था है। वर्णित स्थिति में जहां क्रेडिट एडवांस व्यवस्था के अन्तर्गत भुगतान किया जाना अपेक्षित हो, उन मामलों में जिला स्तर से यह व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित की जाये कि लाभार्थियों

के खाते में धनराशि के अंतरण की सूचना खण्ड विकास कार्यालय के माध्यम से ग्राम-पंचायत के ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी को प्राप्त हो जाये ताकि ग्राम-पंचायत की बैठक में इसकी जानकारी सभी संबंधित को दी जा सके एवं लाभार्थियों के बैंक एकाउन्ट्स में संबंधित धनराशि के अंतरण की पुष्टि हो सके। ग्राम-पंचायत अपनी बैठक में सूची में जांच भी करेंगे कि लाभार्थी पात्रता की श्रेणी में आता है और वह जीवित है।

जिन मामलों में वृद्धावस्था/किसान पेंशन के लाभार्थियों को एकाउन्ट पेयी क्रास्ड चेक के माध्यम से भुगतान अभीष्ट हो, वैसी स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से संबंधित चेकों को ग्राम-पंचायतों के ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी को इन्हें हस्तगत कराना सुनिश्चित करें ताकि इनका वितरण ग्राम पंचायत की बैठक में संबंधित लाभार्थियों को हो सके तथा इसका वांछित लेखा-जोखा भी ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से निर्दिष्ट प्रक्रिया के अन्तर्गत जिला स्तर को प्राप्त हो सके। चेक वितरण से पूर्व ग्राम-पंचायत की बैठक में पात्रता की जांच भी की जायेगी।

उपरोक्त संदर्भ में यह भी सुस्पष्ट किया जाता है कि अग्रसारण पत्र दोनों के लिए एक ही रहेगा अर्थात केन्द्रांश की धनराशि के लिए बैंक का चेक (पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप) एवं राज्यांश हेतु कोषागार का चेक उपरोक्त वर्णित व्यवस्था के अनुसार निर्गत होगा। बैंकों को निर्गत होने वाला अग्रसारण पत्र का प्रारूप निम्नवत् रखा जाना श्रेयस्कर होगा ताकि एक ही प्रारूप में राज्यांश/केन्द्रांश संबंधी पूर्ण स्थिति अंकित रहें :-

क्रमांक	पेंशनर्स का नाम, पिता, पति का नाम	राज्यांश की धन-राशि	ट्रेजरी चेक संख्या दिनांक	केन्द्रांश की धन-राशि	बैंक का नाम जिसके पक्ष में चेक जारी हुआ चेक संख्या दिनांक	योग	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6	7	8

योग राज्यांश	योग केन्द्रांश	कुल

3. पर्वतीय क्षेत्र में धनादेश (एम.ओ.) द्वारा पेंशन वितरण की पूर्व से चली आ रही व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी तथा इसके लिए उत्तरांचल विकास विभाग द्वारा पृथक से यथा आवश्यकता आदेश जारी किए जायेंगे। यह अवश्य है कि प्रत्येक त्रैमास में 30 प्रतिशत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा।
4. भविष्य में पेंशन के पात्र लाभार्थियों की सूची ग्राम-पंचायत की खुली बैठक में तैयार की जायेगी जिसमें सर्वाधिक असहाय तथा निर्धन व्यक्ति को प्रथम अंकित किया जायेगा तथा इसी वरीयता क्रम में अन्य निर्धन/असहाय पात्र वृद्धजनों का नाम प्रतीक्षा सूची में अंकित किया जायेगा। इस सूची को ग्राम-पंचायतों के सूचना पट पर सर्व साधारण के सूचनार्थ चस्पा किया जायेगा। पंचायतों द्वारा ग्राम के वर्तमान में पेंशन पा रहे लाभार्थियों का अंकन तथा भविष्य के लिए चयनित लाभार्थियों का अंकन अलग-अलग किया जायेगा।

5. यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उक्त सूची में वरीयता क्रम में न लाभार्थी/लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृत करने की कार्यवाही ग्राम-पंचायत की बैठक में क जायेगी। तद्नुसार स्वीकृत पेंशन लाभार्थी का नाम पंचायत स्तर से खण्ड विकास कार्याल के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। ग्राम पंचाय द्वारा मृतक लाभार्थी के सम्बन्ध में विकास खण्ड के माध्यम से, जिला समाज कल्या अधिकारी को सूचित किया जायेगा और जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा मृत लाभार्थी के स्थान पर ग्राम-पंचायत द्वारा स्वीकृत नये लाभार्थी को पेंशन भुगतान के संब में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

6. अपात्र व्यक्तियों के पेंशन के निरस्तीकरण की संस्तुति यदि ग्राम-पंचायत द्वारा की जा है तो उसके निरस्तीकरण की कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। अपात्र लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृति निरस्त होने के पश्चात उतनी संख्या तक ग्राम-पंचायत अपन बैठक में उक्त विधि से नये लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृत करेगी। ग्राम-पंचायत नये लाभार्थियों की सूची विकास खण्ड के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी को भेजें जो ऐसे नये लाभार्थियों को पेंशन भुगतान हेतु अग्रेतर कार्यवाही करेंगे।

7. यह भी निर्णय लिया गया है कि सम्पूर्ण जिले को पेंशन के नये लाभार्थियों का जो लक्ष्य प्राप्त होगा उसके सापेक्ष जिस प्रकार केन्द्र सरकार द्वारा जनसंख्या के आधार पर पेंशन के निर्धारण हेतु जिले को इकाई माना गया है उसी प्रकार जिलाधिकारी विकास खण्ड को इकाई मानते हुए जनसंख्या के आधार पर विकास खण्डवार लाभार्थियों एवं उनको प्रदान की जाने वाली धनराशि का निर्धारण करेंगे तथा इसी प्रकार विकास खण्ड जनसंख्या के आधार पर ग्राम-पंचायत वार चार्ट बनाकर संबंधित ग्राम-पंचायतों को लक्ष्य उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था करेंगे। ग्राम-पंचायत अपनी बैठक में उक्त विधि के अनुसार अपने लक्ष्य के अनुसार पेंशन स्वीकृत करेंगे।

8. ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी द्वारा ग्राम-पंचायत स्तर पर वितरित होने वाली समस्त पेंशन की धनराशि के वितरण का लेखा-जोखा रखा जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा। जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे एवं पूर्व निर्गत शासनादेश इस शासनादेश के प्राविधानों के लागू किये जाने के संबंध में उक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा।

भवदीय,
हौसिला प्रसाद वर्मा
सचिव